



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या-11/2022-23

सरकार

बनाम्

रामफल साह

—: आदेश :—

दिनांक 30/11/22

सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला गोड्डा मुफरसिल थाना काण्ड संख्या-364/2021
दिनांक-14.11.2021 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक-
1079/अप0शा0 दिनांक-30.03.2022 से धारा-379/411/34 भा0द0वि0,
4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं
खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13
झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017
के तहत कांड में जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH17P-2897, ट्रेलर निबंधन
संख्या-JH17M-9230 तथा उस पर लदे बालू को राजसात करने के लिए
प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया
गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड
वादी मेघलाल टुडू, जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के
आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH17P-2897, ट्रेलर निबंधन
संख्या-JH17M-9230, के मालिक एवं चालक के विरुद्ध अवैध रूप से बालू की
चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन
संख्या-02 में इस कांड को धारा-379/411/34 भा0द0वि0, 4/54
झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज
(विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड
खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत
प्राथमिकी अभियुक्त ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH17P-2897, ट्रेलर निबंधन संख्या-
JH17M-9230, के मालिक एवं चालक के विरुद्ध सत्य पाया गया है तथा
काण्ड में जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH17P-2897, ट्रेलर निबंधन संख्या-
JH17M-9230, के मालिक रामफल साह, पिता-तेजा साह, सा0-कन्हवारा,
थाना-गोड्डा मुफरसिल, जिला-गोड्डा के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस

अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं०—JH17P-2897, ट्रेलर निबंधन संख्या—JH17M-9230 एवं उस पर बालू के विरुद्ध धारा—379/411/34 भा०द०वि०, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी रामफल साह को कारण—पृच्छा दायर करने के लिए नोटिश दिया गया। विपक्षी के द्वारा कारण—पृच्छा दायर किया गया है। विपक्षी का कथन है कि विपक्षी के वाहन ट्रैक्टर निबंधन सं०—JH17P-2897, ट्रेलर निबंधन संख्या—JH17M-9230 को जप्त किया जा रहा था, उस समय चालक के द्वारा चालान दिखाया गया था। लेकिन उक्त चालान झारखण्ड में मान्य नहीं होने के कारण वाहन को जप्त कर लिया गया एवं मामला दर्ज किया गया। विपक्षी के द्वारा अग्रिम जमानत के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा के न्यायालय में आवेदन दिया गया। अग्रिम जमानत देने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा से प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा जप्त वाहन के संबंध में प्रतिवेदन दिया गया कि जप्त वाहन का कोई पूर्व अपराधिक इतिहास नहीं है। इसलिए जुर्माना लगाया जा सकता है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर विपक्षी को अग्रिम जमानत दिया गया। चूंकि विपक्षी के द्वारा जुर्माना की राशि जमा कर दिया गया है। इसलिए राजसात की कार्रवाई करना उचित नहीं है। उन्होंने जप्त वाहन को राजसात से मुक्त करने का अनुरोध किया है।

सरकारी वकील का कथन है कि बालू परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। अवैध बालू प्रश्नगत वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जप्त किया गया है। गोड्डा मुफ़स्सिल थाना काण्ड संख्या—364/2021 दिनांक—14.11.2021, भा०द०वि० की धारा—379/411/34 तथा झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 की धारा 4/54 तथा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 तथा झारखण्ड खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम 2017 के तहत जप्त कर गोड्डा मुफ़स्सिल थाना में रखा गया है। आर्थिक क्षति को देखते हुए शर्तों के आधार पर जप्त वाहन को विमुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी का ट्रैक्टर निबंधन सं०—JH17P-2897, ट्रेलर निबंधन संख्या—JH17M-9230, को अबंदोवस्त बालू घाट से बालू चोरी कर परिवहन

करने में पकड़े जाने पर जप्त किया गया है। विपक्षी के द्वारा वाहन पर लदे अवैध बालू के संबंध में कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन अवैध तरीके से बालू चोरी एवं परिवहन में संलिप्त पाया गया है। लेकिन चूँकि जप्त वाहन खुले स्थान पर पड़ा हुआ है तथा वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है। जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा ने झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत जुर्माना राशि से संबंधित प्रतिवेदन दिया गया है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत खनिज मूल्य का दोगुनी राशि 8000.00 (आठ हजार) रु० और चूँकि जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के प्रतिवेदन में अंकित है कि पूर्व में एक बार वाहन ट्रैक्टर निबंधन सं०-JH17P-2897 संलिप्त पाया गया है। इसलिए अतिरिक्त 50000.00 (पचास हजार) रु० जुर्माना राशि भी लगाया जाता है। अतः कुल 58000.00 (अन्ठावन हजार) रु० जुर्माना राशि एवं एक लाख रु० का जमानत बंध-पत्र तथा निम्नलिखित शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक स्थानीय जमानतदार का कागजात के आधार पर जप्त वाहन जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं०-JH17P-2897, ट्रैलर निबंधन संख्या-JH17M-9230, को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
2. वाहन को किसी दुसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
3. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं० अंकित कर समर्पित करेंगे।

विपक्षी जुर्माना की राशि जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में जमाकर रसीद की प्रति के साथ उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक लाख रु० का जमानत बंध-पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात दाखिल करेंगे। आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा एवं अन्य संबंधित को दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा

उपायुक्त,
गोड्डा

570 470-111
28.10.22